"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2010—श्रावण 8, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2010 (श्रावण 8, 1932)

क्रमांक-428/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010), जो दिनांक 30 जुलाई, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2010" कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 3 की उप-धारा (1) के परन्तुक में, शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर, शब्द "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये एवं शब्द "सिवाय" का लोप किया जाये.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

नये सिनेमाघरों/मल्टी-प्लेक्सों के निर्माण को प्रोत्साहन देने, वर्तमान में संचालित सिनेमाघरों/मल्टी प्लेक्सों को बचाए रखने तथा सिनेमा घरों/मल्टी प्लेक्सों में दर्शकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक : 27 जुलाई, 2010

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक का सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा - 3 **सिनेमा के मालिक द्वारा देय मनोरंजन शुल्क—** (1) वीडियो कैसेट रिकार्डर (जो इसमें इसके पश्चात् वी.सी.आर. के नाम से निर्दिष्ट है) या वीडियो कैसेट प्लेयर (जो इसमें इसके पश्चात् वी.सी.पी. के नाम से निर्दिष्ट है) या किसी केबल आपरेटर द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी मनोरंजन के प्रत्येक मालिक द्वारा मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के संबंध में, राज्य सरकार को उस भुगतान के 1 (तीस प्रतिशत) की दर से शुल्क का भुगतान करेगा.

परन्तु किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए पचास पैसे से अनधिक के किसी भुगतान के संबंध में कोई शुल्क उस दशा के सिवाय देय नहीं होगा जबकि ऐसा भुगतान किसी स्थाई संरचना में होने वाले चलचित्र प्रदर्शन में प्रवेश के लिए हो.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.